भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2661
उत्तर देने की तारीख: 05.08.2025

पंजाब में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास

2661.श्री मलविंदर सिंह कंग:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निर्मित छात्रावासों की संख्या कितनी है;
(ख) देश में राज्य-वार छात्रावास निर्माण के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;
(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त छात्रावासों के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए की गई नई अतिरिक्त कोचिंग व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): विगत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु पंजाब राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश से संबंधित छात्रावासों (एक बालकों के लिए और एक बालिकाओं के लिए) के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव हाल ही में विभाग में प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों से प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): विगत दो वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु पंजाब राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावासों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजाब राज्य सरकार को 112.5 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि पूर्ववर्ती दो वर्षों में कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी।

(घ): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना के छात्रावास घटक के अंतर्गत छात्रावास के निर्माण एवं रखरखाव के लिए धनराशि जारी की जाती है। पीएम-अजय योजना के छात्रावास घटक के अंतर्गत निर्मित छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त कोचिंग या शैक्षणिक सहायता की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।

*****